

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जमवारामगढ़,
जयपुर

रामधन बनाम राकेश कुमार व अन्य

वाद पत्र संख्या /6 /2022

21-01-2022 प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री दीपचन्द महावर ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रतिवादी को जारी हो। पत्रावली दिनांक 22/03/2022 को पेश हो।

(दिशवासी) श्री (नाम)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

24/03/22 पत्रावली पेश हुई। पक्षील वादी उपर
पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/उपखण्ड अधिकारी
दिनांक 18/04/22 को पेश हो

18/4/22 : पत्रावली पेश हुई। पक्षील वादी उपर
पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/उपखण्ड अधिकारी
दिनांक 11/07/2022 को पेश हो

11/7/22 पत्रावली पेश की गयी
वादी को बार-बार रजिस्टर
तीन बार किटाने लाखा
मिथ्या किटाने लाखा
का समय व्यतीत होने को
है किटाने वाद को किटाने
हाथी व अदालत पेश की
सुनिए किटाने लाखा है पत्रावली
पत्रावली पेश की गयी किटाने
काटना किटाने पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर